(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI I. K. GUJRAL): (a) Yes, Sir.

(b) The issue has been under examination.

केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् की बैठक

*157. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 और 1972 के दौरान केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् की कितनी बैठकें हुई और क्या वह भी इन बैठकों में सम्मिलित हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् द्वारा क्या सुझाव दिए गए तथा क्या शिकायतें प्रस्तुत की गयी ; और

(ग) इन सुझावों को स्वीकार करने तथा शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) उद्योगों की केन्द्रीय परामर्श समिति की बैठकें नवम्बर, 1971 तथा नवम्बर, 1972 में हुई थी । नवम्बर, 1971 में हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री श्री मोइनुल हक चौधरी तथा नवम्बर, 1972 में हुई बैठक की अध्यक्षता श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने की थी ।

(ख) इन बैठकों में सदस्यों ने औद्योगिक वृद्धि की गिरती हुई दर पर चिंता प्रकट की तथा उसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया था । औद्योगिक स्वीकृतियों की मंजूरी में विलम्ब, बिजली तथा कच्चे माल की कमी देश में ही अनुसंधान तथा विकास को समुन्नत करने पर बल देने में कमी, पिछले क्षेत्रों का विकास तथा लघु क्षेत्र संबंधी प्रमुख समस्याओं जैसी कुछ बातें बैठक में उठायी गई थीं ।

(ग) सरकार ने फरवरी, 1973 में औद्योगिक नीति संबंधी अपने निर्णय की घोषना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों यथा; लघु तथा मध्यम क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, बड़े घरानों, विदेशी कंपनियो त था संयुक्त क्षेत्र की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से बतायी थी । औद्योगिक लाइसेंसिंग को और सुस्पष्ट बनाने हेतु औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट संबंधी आदेशों को और अधिक युक्तियुक्त बनाया गया तथा एक समेकित अधिसूचना जारी की गई थी । औद्योगिक लाइसेंस से छूट के लिये हकदार बनाने हेतु पूंजीगत माल का आयात करने की वह शर्त जिसमें विदेशी मुद्रा की बाधा सामने आती थी । हटा दी गई हैं । ऐसा हो जाने से पूंजीगत माल का आयात करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस के मामले अब सीधे पूंजीगत वस्तु समिति को विचारार्थ भेजे जा सकेगें । इस उपाय से पूंजी निवेश के निर्णयों को तेजी से अमल में लाया जा सकेगा ।

पूंजी निवेश के निर्नयों को और भी युक्तिसंगत बनाने व उनको तेज गति प्रदान करने विशेषरूप से लघु व मध्यम क्षेत्रों के उदयमियों को सहायता पहुंचाने तथा जिन क्षेत्रों में सरकार पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना चाहती है उनके बारे में स्पष्ट बताने के लिये, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही उद्योगों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना है । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में औद्योगिक लाइसेंस विदेशी सहयोग इत्यादि से संबंधित नीतियो का विवरण तथा पूंजीनिवेश की और गुंजाइश वाले 118 उद्योगों की जानकारी दी गई है । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तो को अद्यतन किया जाएगा तथा प्रतिवर्ष जारी किया जाएगा ।

औद्योगिक स्वीकृतियों में तेजी लाने की दृष्टि से 1 नवम्बर, 1973 से एक संशोधित कार्यविधि लागू की गई है। औद्योगिक स्वीकृतियों के लिये सचिवालय स्थापित किया गया है तथा लाइसेंस के आवेदन पत्रों और अन्य स्वीकृतियों के निपटाने हेतु समय सीमायें निर्धारित कर दी गई है। नई कार्यविधि के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्र 90 दिन के अन्दर तथा एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन आने वाले आवेदन 150 दिन के अन्दर निपटा दिए जाएंगे। मिले जुले आवेदनों जिनमें एक से अधिक अनुमोदन निहित होते हैं, उन पर विचार करने के लिये परियोजना स्वीकृति बोर्ड नामक एक विशेष समिति बना दी गई है।

पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी निवेश पर सहायता की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दी गई है। पहले यह सहायता 50 लाख रु० के पूंजी निवेश तक सीमित थी परन्तु अब यह सहायता 1 करोड़ रु० तक के पूंजी निवेश तक सुलभ है।

सरकार अब देश के अन्दर अनुसंधान और विकास पर अधिक जोर दे रही है। अलग-अलग उपक्रमों में अन्तस्थ अनुसंधान विकास सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के साथ साथ लुगदी व कागज जैसे बड़े उद्योगों के अनुसंधान व विकास के लिये अलग से एजेंसियों की स्थापना करने पर भी विचार किया जा रहा है।

लघु व मध्यम क्षेत्रों में उद्यशीलता को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने इण्डियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर के श्री आर० एस० भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। इस समिति ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

Improvements in working of Postal and R.M.S. Departments

*156. **SHRI PRABHUDAS PATEL:**
SHRI SHRIKISHAN MODI:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether several recommendations to improve the working of the Postal and RMS Departments have been made by the recently established Postal Procedures Cell in the Communications Ministry; and

(b) if so, what are the main recommendations made and to what extent they have been implemented?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI RAJ BAHADUR): (a) Yes, Sir.

(b) The Postal Procedure Cell recommended as many as 95 changes in the procedures on the working of the post offices and the RMS. Out of these thirty recommendations have already been accepted and orders thereon issued. Twenty-three items have been dropped after examination. The main recommendations are:—

(i) To discontinue taking of receipts of registered articles on small pieces of paper in the towns in which the delivery slip system is in vogue as it involves duplication of work.

(ii) To open multi-purpose counters in medium sized post offices to enable a customers desiring to avail of several services at a time, at the same counter.

(iii) To simplify procedure for registration of Newspapers by abolishing the procedure of verification of bonafide subscribers and delegating powers to Divisional Superintendents of Post Offices.

(iv) To introduce a new service called 'Recorded Delivery Service' in order to give proof of delivery of unregistered articles; and